Urgent

कार्यालय निदेशक ,कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.23( )/लेखा/निकाशि/छात्र./देव.प्रति. छा.प्रो.यो./2011–12/ दिनांक

विषयः–देवनारायण प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना संचालन नियम 2011 के तहत विशेष पिछडे वर्ग के छात्रों को आवेदन कराने बाबत।

प्रसंगः–निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के पत्रांक एफ 11(164) देव.यो./वि.पि.व./देव. प्रति छा. प्रो.यो. / सान्याअवि / 11–12 / 62466–720 दिनांक 19.8.2011 के क्रम में।

विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक क्रम में लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2011–12 में की गयी घोषणा के तहत राजस्थान मूल के विशेष पिछडे वर्ग(1) बंजारा, बालदिया, लंबाना (2) गाडिया–लोहार, गाडोलिया (3) गूजर, गुर्जर (4) राईका,रैबारी(देबासी) के छात्रों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा–11वी एवं 12 वीं की परीक्षाओं व महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर राजकीय विद्यालय/महाविद्यालयों की अगली कक्षाओं में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

प्रोत्साहन राशि स्वीकृति संबंधी कार्यवाही सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी।

छात्रों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ कॉलेजों में जमा कराने की अंतिम तिथि 30.9.2011 तथा प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों द्वारा संबंधित जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जमा कराने की अन्तिम तिथि 10.10.2011 हैं। स्कीम संबंधी नियम/शर्ते/आवेदन पत्र /आवेदन प्रक्रिया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। विभाग की वेबसाईट–www.sje.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं। जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से भी जानकारी ली जा सकती हैं।

– sd –

निदेशक
कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान,
जयपुर।

क्रमांकः–एफ.23( )/लेखा/निकाशि/छात्र./देव.प्रति. छा.प्रो.यो./2011–12/ 569-74 दिनांक 23.9.11

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3 प्रधानाध्यापक/प्राचार्य, समस्त राजकीय विद्यालय/महाविद्यालय राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आपकी संस्था में अध्ययनरत विशेष पिछडे वर्ग के छात्रों को स्कीम के तहत आवेदन कराकर लाभान्वित करावें।
4 लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा(ग्रुप–5) विभाग सचिवालय, जयपुर।
5 सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर / अजमेर / जोधपुर बीकानेर/ उदयपुर/कोटा को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के समस्त राजकीय महाविद्यालों में स्कीम का प्रचार प्रसार करावें।
6 श्री देवर्षि जी, वेबसाईट अनुभाग को अपलोड करने हेतु।

23.9.11

संयुक्त निदेशक, (छात्रवृति)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर